

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

[3/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 3529]

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न क्रमांक-3529

माननीय विधायक श्री आर.डी.प्रजापति  
सदन में बैठक दिनांक 03.03.2017

कार्यालय, कनिष्ठ अभियंता, म.प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि., विद्युत वितरण केन्द्र, चंदला

क्र./क.अ./चंदला/2016-17/202

चंदला, दिनांक 25.01.2017

प्रति,

पार्षद वार्ड क्रमांक 8,  
नगर पंचायत चंदला,  
जिला छतरपुर (म.प्र.)।

विषय-वार्ड क्रमांक 8 रायपुर तिगैला से लेकर थाने के आगे तक वार्ड वासियों द्वारा 11 के.व्ही. लाईन के नीचे अवैध रूप से मकान बना लेने बावत्।

सन्दर्भ-वार्ड क्रमांक 8 के वार्ड वासियों का आवेदन दिनांक 05.12.2016.

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया करने में आता है कि वार्ड नं. 8 के वार्ड वासियों द्वारा इस कार्यालय को आवेदन दिया गया है कि 11 के.व्ही. विद्युत लाईन उनके मकान के ऊपर से निकली हुई है। उसे हटाया जाये कोई दुर्घटना घटित न हो इस संबंध में लेख है कि 11 के.व्ही. विद्युत लाईन पूर्व के कई वर्षों से वहाँ पर लगी हुई है। जिसको नीचे वार्ड वासियों द्वारा बिना किसी उचित अनुमति के मकान बना लिये हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है एवं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 की धारा 79, 80 एवं 82 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। चूंकि लाईन पूर्व से लगी हुई है, इस कारण विभाग द्वारा अपने खर्चे पर लाइन हटाना संभव नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत लाईन को हटाने में खर्च होने वाली राशि को वार्ड वासियों से जमा कराने की सहमति दिलवाये या नगर पंचायत उक्त राशि को वहन करने की सहमति दें। ताकि विद्युत लाईन हटाने की कार्यवाही की जा सके। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जबाबदार होंगे।

हस्ताक्षरित

कनिष्ठ अभियंता

म.प्र. पू.क्षे.वि. वि. कं. लि.,  
विद्युत वितरण केन्द्र चंदला,  
चंदला, दिनांक .....

क्र./क.अ./चंदला/2016-17/


चंदला, दिनांक

प्रतिलिपि :-

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, चंदला जिला छतरपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कनिष्ठ अभियंता

म.प्र. पू.क्षे.वि. वि. कं. लि.,  
विद्युत वितरण केन्द्र चंदला

  
(श्याम लाल)  
अनुमति अधिकारी  
मुख्य नगर पालिका,  
(चंदला, छतरपुर)